<u>न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी</u>

प्रकीर्ण वाद सं0–153 / 2026
सुनील कुमार गुप्ता बनाम मनोज रस्तोगी
CNR No UPLP10001697-2026

धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0
थाना–मोहम्मदी, जिला–खीरी

<u>15.07.2026</u>

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। पत्रावली एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया।

2– प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदक ने मुख्यतः यह कथन किया है कि प्रार्थी लगभग 20–22 वर्षों से सा. `ने–चॉदी का व्यवसाय कर जीविकोपार्जन कर रहा है और इसी के साथ जरुरतमंद लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ग्राहकों की गिरवी गांठ के काम में भी सहयोग करना पड़ जाता है। प्रार्थी की दुकान के पड़ोस में कस्बा व थाना मोहम्मदी के विपक्षी मनोज रस्तोगी पुत्र स्व0 श्री हरिशंकर रस्ता. `गी कपड़ा व्यवसायी की दुकान है जो सोना चांदी गिरवी गांठ का काम भी करता है। प्रार्थी वर्ष 2019 से गिरवी गांठ के ग्राहकों का जेवर मनोज रस्तोगी के पास गिरवी गांठ रखवाता चला आ रहा था। विगत 5 वर्षो में सोने चांदी की कीमत लगभग 4 गुना हो गयी है, जिसके लालच में आकर उक्त मनोज रस्तोगी की नीयत खराब हो गयी और वह प्रार्थी द्वारा रखवायी गयी ग्राहकों की सोने चांदी की गिरवी गांठों को वापस देना नहीं चाहता है तथा जालसाजी व धोखाधड़ी करके गिरवी गांठ में रखे असल जेवर सोना चांदी बदलकर नकली जेवर पॉलिस करवाकर ग्राहकों को धोखा देने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए प्रार्थी के सहमत न होने पर उक्त मनोज रस्तोगी प्रार्थी व ग्राहकों से झगड़ा व मारपीट करने पर आमादा हो जाता है, जिससे प्रार्थी की बदनामी हो रही है तथा आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धित क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में मनोज रस्तोगी आत्महत्या के लिए प्रेरित कर कहता है कि प्रार्थी खुदकुशी कर ले तो सारी समस्याएं खत्म हो जायेंगी। उप. रोक्त रंजिश के कारण दिनांक 05.10.2025 सुबह करीब 8 बजे दिन रविवार विपक्षी मनोज रस्तोगी अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर प्रार्थी के मकान के अन्दर जबरदस्ती घुस आया और आवाज ादेकर बुलाया प्रार्थी के आने पर मनोज रस्तोगी ने धमकी दी कि प्रार्थी ने उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ठीक नहीं किया और आगे के लिए चेतावनी देता हूँ कि उन शिकायती पत्रों में और पेरवी की तो वह प्रार्थी की जान ले लेगा अगर प्रार्थी जिन्दा रहना चाहता है तो विपक्षी द्वारा गोल्ड प्लेटेड सोना असली सोने के बदले में ग्राहकों को देना होगा अगर ऐसा नहीं किया तो ावह प्रार्थी द्वारा रखवायी गयी सभी ग्राहकों की असली सोने, चांदी की गिरवी गाठों को वापस नहीं करेगा। प्रार्थी घर के बाहर शाहजहांपुर बरेली व्यवसाय के लिए नहीं जा पायेगा। प्रार्थी के विपक्षी के पास ग्राहकों की रखवायी गयी गिरवी गांठ का वजन लगभग 2 किलो सोने के आभूषण तथ 42 किलो चांदी के आभूषण गिरवी गांठ विपक्षी के पास रखवाये हैं, जिन्हें विपक्षी वापस नहीं कर रहा। प्रार्थी ने उक्त घ ाटना की सूचना थाना मोहम्मदी में दी तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है। याचना की गयी है कि प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मोहम्मदी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

3– थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 04.06.2026 का अवलोकन किया। थाने से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रकरण में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 में उपरोक्त वर्णित जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनसे आवेदक भली–भॉति परिचित है एवं स्वतः साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय जॉच भी करा सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित विधिव्यवस्था 2007 (59) ए0सी0सी0 पेज 739 सुखवासी प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण परिवाद के रुप में दर्ज किये जाने योग्य है।

5– आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3)बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रुप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी दिनांक 17.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–15.07.2026

(श्रद्धा भारतीय)

(J.O Code-UP1964)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी–खीरी